न्यायालय–एकादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी– सुमित कपूर)

जमानत याचिका क. 1685/19 में पारित जमानत आदेश दिनांक 10.07.2019 की प्रतिलिपि

थाना–गंज, रायपुर
अपराध क0–276/2019
धारा–380 भा0द0सं0

संतोष छुरा उम्र 29 वर्ष पिता श्री थया छुरा
निवासी–ग्राम–मालपारा, थाना बगोमुंडा
जिला–बलांगीर (उडीसा)
हालमुकाम–ठेसपारा, पंडरी थाना सिविल लाईन
जिला–रायपुर (छ0ग0) .... आवेदक/आरोपी

विरूद्व

छत्तीसगढ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र–गंज
जिला–रायपुर (छ.ग.) .... अनावेदक/अभियोजन

पश्चात् (10.07.2019)

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर के आदेश अनुसार यह जमानत आवेदन विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी संतोष छुरा द्वारा श्री आदर्श सुल्लेरे अधिवक्ता

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री विजय कुमार लांजे अति0 लोक अभियोजक उप. स्थित

आरोपी संतोष छुरा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए।

थाना गंज रायपुर के अपराध कमांक 276/19 अंतर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/आरोपी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/आरोपी निर्दोष है, उसे असत्य तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उससे कथित मोबाईल की कोई जप्ती कार्यवाही नहीं की गई है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द0प्र0सं0 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा **आदेश दिनांक 6/7/19** द्वारा निरस्त किया जा चुका है। तदुपरांत यह आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है और इससे संबंधित कोई भी आवेदन वर्तमान में अथवा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य सत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही लंबित है, न ही निराकृत किया गया है। आरोपी विगत कई समय से अभिरक्षा में निरूद्ध है, जिससे उसकी मनोदशा में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आरोपी के अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। आरोपी न्यायालय के समस्त निर्देशों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदक/आरोपी को सक्षम जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

आवेदन के समर्थन में आरोपी की ओर से उसकी **पत्नी पूजा छुरा** ने अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है।

अभियोजन की ओर से आरोपी के विरूद्ध विवेचनाधीन अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध होने के कारण अपराध की गंभीरता के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

थाना गंज रायपुर के अपराध क्रमांक 276/19 अंतर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता की केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी रोहित कुमार द्वारा दिनांक 30/05/19 को उसके आवासीय मकान से सेम्संग मोबाईल एस–7 एज की चोरी होने के संबंध में दिनांक 04/07/19 को थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर थाना गंज की पुलिस द्वारा अपराध क्र0 276/19 धारा 380 भा0द0सं0 के अंतर्गत विवेचना के दौरान आरोपी से चोरी गए मोबाईल को जप्त कर दिनांक 05/07/19 को आरोपी को उक्त अपराध के अंतर्गत गिरफतार कर विवेचना कार्यवाही की जा रही है। आरोपी उक्त दिनांक 05/07/19 से अभिरक्षा में निरूद्ध है।

केस डायरी में आरोपी के विरूद्ध विचारणाधीन अपराध के समान अन्य अपराध कारित किए जाने संबंधी कोई प्रकरण लंबित होने या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। आरोपित अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रैट द्वारा विचारणाधीन अपराध है। प्रकरण की विवेचना में समय लगने की संभावना है। अतः अपराध की प्रकृति, न्यायिक अभिरक्षा की अवधि, आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने के तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को निर्णय पूर्व दण्ड स्वरूप अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः विचारोपरांत आवेदक/आरोपी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 स्वीकार किया

जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी संतोष छुरा द्वारा विचारण के दौरान नियमित उपस्थिति बाबत् संबंधित न्यायालय न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी, रायपुर की संतुष्टि योग्य 10,000/– **(दस हजार रूपये)** की सक्षम अथवा नगद जमानत एवं समान राशि का स्वयं का मुचलका निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्तुत करे तो आरोपी को जमानत पर रिहा किया जावे :–

1 आवेदक जमानत पर मुक्त रहने के दौरान विवेचनाधीन अपराध के समान अन्य कोई अपराध कारित नही करेगा।

2 आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण से संबंधित अभियोजन साक्षियों को प्रभावित या प्रलोभित नही करेगा तथा विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को आदेश के पालनार्थ एवं एक प्रति संबंधित आरक्षीकेन्द्र को केस डायरी में संलग्न किए जाने हेतु मय केस डायरी प्रेषित की जावे। आदेश की एक प्रति माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण समाप्त। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में व्यवस्थित कर विधिवत अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(सुमित कपूर)
एकादश अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1– माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– श्री असलम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3– थाना प्रभारी, गंज रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

4– अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुमित कपूर)
एकादश अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)